मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 4- 3/2018/नियम/चार भोपाल, दिनांक 10 जनवरी, 2019

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषय- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती के लिये आयोजित परीक्षा एवं साक्षात्कार में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को यात्रा भत्ते की प्रतिपूर्ति ।

संदर्भ- वित्त विभाग का ज्ञाप क्रमांक एफ 4-4/2013/नियम/चार दिनांक 13-9-2013.

—••—

राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती के लिये आयोजित परीक्षा एवं साक्षात्कार में सम्मिलित होने पर संदर्भित परिपत्र दिनांक 13-9-2013 अनुसार रेलमार्ग से यात्रा की पात्रता निर्धारित है परन्तु सड़क मार्ग से यात्रा की पात्रता का निर्धारण नहीं है । अतः स्पष्टता की दृष्टि से यात्रा हेतु देय किराए के लिए पात्रता निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-

सरल क्रमांक	प्रतियोगी परीक्षा के पद की श्रेणी	रेल से यात्रा करने पर पात्रता	बस से यात्रा करने पर पात्रता
(i)	प्रथम श्रेणी पद के लिये, अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा/साक्षात्कार हेतु आमंत्रित करने पर.	ए.सी.-3 श्रेणी	समस्त श्रेणी
(ii)	अन्य समस्त श्रेणी (प्रथम श्रेणी छोड़कर) के पदों के लिये अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा/साक्षात्कार हेतु आमंत्रित करने पर.	द्वितीय श्रेणी साधारण शयनयान	साधारण श्रेणी (वातानुकूलित एवं डीलक्स छोड़कर)

(2) निजी बस सेवा अथवा शासकीय बस सेवा से यात्रा करने की स्थिति में बस का किराया देय रहेगा ।

(3) रेल से यात्रा करने पर आरक्षण शुल्क, इंटरनेट शुल्क आदि वैधानिक चार्जेस भी यात्रा टिकिट के साथ शामिल किये जायेगें ।

(4) यदि यात्रा जीप, टैक्सी, शेयर टैक्सी के द्वारा की गई है, तो ₹ 1/- प्रति किलोमीटर की दर से गणना कर यात्रा की राशि का भुगतान किया जावेगा ।

(5) यदि रेल/बस टिकिट प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब ₹ 1/- प्रति किलोमीटर की दर से गणना अथवा रेल/बस का वास्तविक किराया, जो भी कम हो दिया जावेगा ।

2/ अन्य शर्तें यथावत रहेगीं ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अजय चौबे)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृष्ठा.क्रमांक :एफ 4-3/2018/नियम/चार

भोपाल, दिनांक 10 जनवरी, 2019

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
4. महालेखाकार (लेखा और हकदारी) द्वितीय मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
5. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
6. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
8. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
9. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
10. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
11. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
12. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, एवं लेखा, मध्यप्रदेश
13. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
14. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
15. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति मंत्रालय, भोपाल
16. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
17. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
18. समस्त संभागीय/जिला पेंशन अधिकारी, मध्यप्रदेश
19. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

(अजय चौबे)
उप सचिव
म.प्र.शासन, वित्त विभाग